न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
12/2021	11-01-2021	05/05/2022

उनवान

भजनलाल व अन्य ——:: वादीगण

बनाम

बनवारीलाल व अन्य ——:: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 (प्रार्थी) प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा निम्न पेश है कि वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 0.68 है0 आराजी स्थित वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर बाबत वाद संख्या 12/2021 दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी न्यायालय श्रीमान् के यहां पेश किया हुआ है, जबकि हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम का कोई अंकन नहीं है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का अंकन नहीं होने के कारण वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत काबिले खारिज है। वाद में वर्णित आराजी बाबत वादीगण ने पूर्व में उक्त आराजी को आबादी की दर्शाकर मौके का नक्शा बनाकर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश तिजारा में एक वाद बअनुवान भजनलाल बनाम बनवारी प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें आगामी तारीख पेश 07.03.2022 नियत है तथा उक्त दोनो वाद से पूर्व दिनांक 05.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक सिविल वाद बअनुवान बनवारीलाल बनाम भजनलाल वगै0 माननीय सिविल न्यायाधीश तिजारा के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2021 को स्थगन आदेश इस कदर जारी किया हुआ है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा पावन्द किया जाता है तथा अप्रार्थीगण पेशकर्दा नक्शा प्रार्थी/वादी में बरंग सुर्ख से दर्शित अक्षर अ से व स्थान रास्ता 15 फुट चौडा वाके ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर में जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर गेट, टॉवर निकास आदि की वादी की ओर स्थित 15 फुट चौड रास्ते की ओर नहीं निकाले, ना ही वादी की ओर अपने प्लॉट या मकान का रास्ता निकाले, ना ही उपयोग उपभोग वादी में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करें व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। वादीगण द्वारा उक्त आराजी बाबत एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधीश तिजारा के समक्ष दायर किया हुआ है तथा उक्त आराजी बाबत उक्त अनुवानी राजस्व वाद माननीय न्यायालय के सक्षम दायर किया हुआ है। जिस कारण वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

संख्या 1 लगायत 5 की ओर से पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज फरमाया जावे।

(अप्रार्थी) वादीगण पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जवाबदार द्वारा खरीदशुदा आराजी का इंतकाल दर्ज नहीं होने के कारण मिन वादी द्वारा दावा इश्तकरारहक का दायर किया हुआ है। जिसमें राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज कराने व उसके बाद तकासमा कराने बावत इस्तदुआ की गई है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। काबिले खारिज है। सिविल न्यायालय में वाद रास्ते की बावत दायर किया हुआ है लेकिन अदालत श्रीमान् ने इश्तकरारहक का दावा किया है जो अदालत श्रीमान् द्वारा श्रवण योग्य है और दोनो दावों की नेचर अलग अलग है तथा अनुतोष भी अलग अलग है। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन काबिले खारिज है। प्रतिवादी द्वारा महज दावा को देरी करने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा इश्तकरारहक का दावा कानूनन कभी भी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र हरसूरत में काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण काबिले खारिज है जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वादीगण (अप्रार्थी) पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुये प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया जाकर किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण (प्रार्थी) पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुये। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है एवं आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। उक्त वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)